



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ८]

मंगळवार, मार्च १०, २०२६/फाल्गुन १९, शके १९४७

[पृष्ठे १८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २२ फ़रवरी २०२६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2026.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE
PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF
ADMISSION AND FEES) ACT, 2015.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २ सन् २०२६।

महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन)
अधिनियम, २०१५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है;

सन् २०१५ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं
का महा. जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षणिक
२८। संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य
कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

भाग सात-१२-१

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् —

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण। १. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ कहलाए।

(२) यह प्रवृत्त होगा।

सन् २०१५ का महा. २८ की धारा १ में संशोधन। २. महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा १, की उप-धारा (१) में “महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाएँ (प्रवेश तथा फीस का विनियमन)” शब्दों के स्थान में, “महाराष्ट्र वृत्तिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन) और असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाएँ (फीस का विनियमन)” शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१५ का महा. २८ की धारा २ में संशोधन। ३. मूल अधिनियम की धारा २ के,—

(१) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क-१) “सहायताप्राप्त संस्था” का तात्पर्य, निजी वृत्तिक शैक्षणिक संस्था, जो उनके कर्मचारियों का वेतन देने के कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से सहायता या अनुदान सहायता प्राप्त करता है;”;

(२) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ख-१) “अपील प्राधिकरण” का तात्पर्य, धारा १५क के अधीन गठित अपील प्राधिकरण से है;”;

(३) खण्ड (ग) हे पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग-१) “सीईटी कक्ष” का तात्पर्य, धारा १० में निर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष, से है;”;

(४) खण्ड (छ) हे स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(छ) “फीस” का तात्पर्य, धारा १५ में उल्लिखित घटकों से संबंधित होनेवाले फीस विनियामक प्राधिकरण द्वारा फीस के रूप में निर्धारित रकम है; परंतु उसमें ऐच्छिक सुविधाएं जैसे कि छात्रावास, निवासस्थान, परिवहन, भोजनालय प्रभार और छात्र बीमा फीस आदि के उपयोग द्वारा देय कोई प्रभार सम्मिलित नहीं है;”;

(५) खण्ड (ट) में “पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष” शब्दों के स्थान में, “पाठ्यक्रम का द्वितीय या कोई पश्चात्वर्ती वर्ष” शब्द रखे जायेंगे ;

(६) खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ठ-१) “भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई)” का वही अर्थ होगा जिसे नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा ७क में उसे समनुदेशित किया है ;”;

(७) खण्ड (थ) के उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(चार) महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२१ के अधीन निगमित रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय ; या महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय

(स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ की अनुसूची में उल्लिखित स्व-वित्त पोषित निजी कौशल विश्वविद्यालय या उन विश्वविद्यालयों से संलग्न कोई महाविद्यालय या संस्था, से है ;”;

(८) खण्ड (फ) हे पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“(फ-१) “चयन समिति” का तात्पर्य, धारा २०क के अधीन गठित समिति से है ;”;

(९) खण्ड (ब) में “अध्ययन करनेवाले छात्र” शब्दों के स्थान में “संस्था में प्रवेश चाहनेवाले छात्र या अध्ययन करनेवाले छात्र” शब्द रखे जाएँगे।

(१०) खंड (दस) में, “सहायता अनुदान” शब्दों के स्थान में, “उनके कर्मचारीवृन्द के वेतन लेखा पर “सहायता अनुदान” शब्द रखे जायेंगे।

४. मूल अधिनियम की धारा ६, की उप-धारा (१) में, “अधिनियम २००६” शब्द और अंकों सन् २०१५ का सन् २०२४ के पश्चात्, “महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, २०२४” शब्द और महा. २८ की धारा का महा. ६ में संशोधन। अंक निविष्ट किए जाएँगे। १६।

५. मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात्:—

सन, २०१५ का महा. २८ में धारा ६क का निवेशन।

“६क. प्रवेश के विनियमन के संबंध में धारा ३, ४, ५, और ६ के उपबंध तथा सीईटी कक्ष के संबंध में धारा १० के उपबंध, सरकारी संस्था, सरकारी सहायताप्राप्त संस्था, और लोक विश्वविद्यालय विभागों या संस्थाओं को यथावश्यक परिवर्तन समेत लागू होंगे।” सरकारी संस्था आदि, में प्रवेश की रीति।

६. मूल अधिनियम का अध्याय तीन के शीर्षक के “और राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष” शब्द सन् २०१५ का अपमार्जित किए जाएँगे। महा. २८ के अध्याय तीन के शीर्षक में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ७ की,—

सन् २०१५ का महा. २८ की धारा ७ में संशोधन।

(१) उप-धारा (३) के,

(एक) खण्ड (क) में, “मुख्य सचिव या अप्पर मुख्य सचिव की श्रेणी के” शब्दों के स्थान में, “प्रधान सचिव से अनिम्न श्रेणी के” शब्द रखे जाएँगे;

(दो) खण्ड (ख) में, “विश्वविद्यालय के कुलपति” शब्दों के स्थान में, “लोक विश्वविद्यालय के कुलपति या प्रति-कुलपति” शब्द रखे जाएँगे;

(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख-१) संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का सदस्य”
सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिसने
विधि और न्याय विभाग के कानूनी
विभाग में काम किया है

(चार) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ड-१) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के . . . सदस्य
निदेशक

- (ड-२) आयुष के निदेश .. सदस्य
(ड-३) कला निदेशक .. सदस्य”

(२) उप-धारा (४) में,—

(एक) “(ख)” कोष्ठक और अक्षर के स्थान में, “(ख), (ख-१)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(दो) “राज्य सरकार” शब्दों के पश्चात्, “चयन समिति के सिफारिश पर विहित रीत्या” शब्द जोड़े जाएंगे।

सन् २०१५ का ८. मूल अधिनियम की धारा ८ की, उप-धारा (१) और (२) के स्थान में निम्न उप-धारा रखी
महा. २८ की धारा जाएगी, अर्थात् :—
८ में संशोधन।

“(१) अध्यक्ष और सदस्य का पदावधि, उनके पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्षों तक या उनकी ७० वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो, होगी;

परंतु, प्रत्येक व्यक्ति, जो महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ के प्रारम्भण के दिनांक पर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा कर रहा है, ऐसे प्रारम्भण पर तथा से अध्यक्ष या, यथास्थिति, सदस्य रहेंगे और उनकी पदावधि पूरी होने तक उसी निबंधनों तथा शर्तों पर, जिसपर वे नियुक्त हुए थे, निरंतर अपना पद धारण करेंगे।

सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. २।

(२) अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्षों की लगातार केवल एक अधिक अवधि की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।”।

सन् २०१५ का ९. मूल अधिनियम की धारा ९ की,—
महा. २८ की धारा ९ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) के,—

(एक) खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(एक) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने में सरकार की सहायता करना;”;

(दो) खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“(तीन-क) प्राधिकरण के सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किया गया उसका बजट प्राक्कलन समेत पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन प्राप्त करना और उसे सरकार को, उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना;

(तीन-ख) जैसा कि विहित किया जाए ऐसीरीत्या उसका खाता बनाए रखना और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था का सदस्य है, से उसे संपरिक्षित कराना;

(तीन-ग) छात्रों को सी ए पी प्रक्रिया में सहायता तथा मार्गदर्शन करने के लिए सरलीकरण केंद्र (एफ सी) और छात्र सहायता केंद्र (एस ए सी) स्थापन करना और उसे मान्यता देना;

(तीन-घ) कोई अन्य आनुषंगिक कार्य करना;

(तीन) खण्ड (चार) के स्थान में, निम्न खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(चार) प्रवेशों से संबंधित शिकायत प्रतितोष यंत्रणा के उपबंध द्वारा पणधारियों की शिकायत का प्रतितोष करना;

(पाँच) पणधारियों से प्रवेशों से संबंधित यथाक्रम संसूचना सुनिश्चित करना;”;

(२) उप-धारा (३) अपमार्जित की जाएगी ;

(३) उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(५) (क) इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों और कर्तव्यों का कार्यान्वयन करने के लिए प्राधिकरण और निदेशालयों साथ ही साथ, प्रत्येक असहायताप्राप्त संस्था निम्न प्रक्रिया अपनाएगी, अर्थात्:—

(एक) प्रत्येक असहायताप्राप्त संस्था, प्रवेश के अंतिम दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित निदेशालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ‘प्रवेश अनुमोदन प्रस्तावों’ को प्रस्तुत करेगी।

(दो) संबंधित निदेशालय प्रवेश अनुमोदन प्रस्ताव की संवीक्षा करेगी और यदि कोई असहमति हो तो प्रमाणित करेगी और ऐसी संस्था से प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से पचास दिनों के भीतर उसकी सिफारिश प्रवेश विनियामक प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज देगी। निदेशालय के सिफारिश की प्रती संबंधित संस्था को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(तीन) निदेशालय से प्राप्त प्रत्येक ऐसी सिफारिश और प्रवेश अनुमोदन प्रस्ताव के प्रवेश विनियामक प्राधिकरण द्वारा संवीक्षा की जाएगी और ऐसे प्रस्ताव पर प्रत्येक अकादमिक वर्ष के ३१ जनवरी पूर्व प्राधिकरण विनिर्णय लेगा।

परंतु, प्रवेश विनियामक प्राधिकरण समय-समय से समुचित प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्णित वृत्तिक शिक्षा के विशिष्ट पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए अंतिम दिनांक संबंध में होने वाले उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् प्रत्येक अकादमिक वर्ष के ३१ जनवरी के पश्चात् एक समय पर तीन महीनों तक उनका विनिर्णय करने का दिनांक विस्तारित किया जा सकेगा, परंतु किसी मामले में, संबंधित वृत्तिक पाठ्यक्रम के उस अकादमिक वर्ष की समाप्ति के पुरे उसे बढ़ाया नहीं जाएगा।

(चार) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण, संबंधित संस्था और विश्वविद्यालय को उसके अनुमोदन की जानकारी जल्द ही सूचित करेगी।

(पाँच) पणधारी द्वारा कोई शिकायत प्रवेश विनियामक प्राधिकरण के समक्ष दाखिल कर सकेगी और प्राधिकरण जल्द ही तथा किसी मामले में उस अकादमिक वर्ष की समाप्ति के पूर्व उसपर विनिर्णय ले सकेगा।

(छह) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण को या तो स्वप्रेरणा से या पणधारी के आवदन पर, उसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसके अपने विनिर्णय का पूनरीक्षण करने की शक्ति होगी परंतु द्वितीय पुनरीक्षण अनुज्ञेय नहीं है।

(सात) जहाँ किसी विशिष्ट वृत्तिक पाठ्यक्रम के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा प्रवेश अनुमोदन के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण संभव नहीं है तो प्रवेश विनियामक प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से प्रस्ताव भौतिक रूप से दाखिल किया जा सकेगा।

(आठ) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण के आदेशों या विनिर्णय से व्यथित पणधारी, प्रवेश विनियामक प्राधिकरण के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर अपील प्राधिकरण के समक्ष अपना अपील दाखिल कर सकेगा। अपील प्राधिकरण, ऐसे अपील

की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर ऐसे अपील का निपटान करेगा तथा उसपर अपील प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण का कृत्य या कार्यवाही केवल इन कारणों द्वारा अविधिमान्य समझी नहीं जाएगी कि उसके गठन में कोई रिक्ति है या कोई त्रुटि है।

(ग) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण विनियमों द्वारा जिसे वह ठिक समझे, प्रवेश प्रस्तावों की संवीक्षा और शिकायत प्रतितोष यंत्रणा से संबंधित उसकी प्रक्रिया विहित करेगा।

(घ) सदस्य-सचिव प्राधिकरण के कार्यालय का प्रशासकीय प्रमुख होगा और विनियमों द्वारा उसे सौंपी जाए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(६) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण, प्रवेशों के संबंध में उसे प्रमाणित करने तथा उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को देने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की जाँच समिति गठित करेगी।

(७) उप-धारा (६) के अधीन जाँच समितियों की संख्या और बैठक तथा ऐसे सदस्यों को देय अन्य भत्ते, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ऐसे होंगे।

(८) अध्यक्ष, को निमंत्रित कर सकेगा,—

(एक) महाराष्ट्र राज्य के किसी लोक विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, निमंत्रिती सदस्य के रूप में निमंत्रित किया जा सकेगा जब प्रवेश विनियामक प्राधिकरण का कारोबार उस विश्वविद्यालय से संबंधित वृत्तिक पाठ्यक्रम से संबंधित किया है;

(दो) उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संसूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान, वास्तुकला, कृषि, आयुर्वेद दवाई, होमोपैथिक, दंत, परिचर्या या औषध विज्ञान शिक्षा से कोई व्यक्ति या अधिकारी को उनकी विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया जा सकेगा। ऐसे विशेषज्ञ निमंत्रिती प्रवेश विनियामक प्राधिकरण की बैठकों की कार्यवाहियों हिस्सा ले सकेंगे, परंतु उन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा।”।

सन् २०१५ का
महा. २८ की धारा
१० में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान में, निम्न धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अध्याय तीन-क

महाराष्ट्र राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष

राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष। १० (१) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक “महाराष्ट्र राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा कक्ष” होगा। राज्य सीईटी कक्ष उपर्युक्त नाम का अपना शाश्वत उत्तराधिकार होनेवाला निगमित निकाय होगा, उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के अर्जेन, धारण तथा निपटान करने की शक्ति होगी तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी कार्य करने की शक्ति होगी तथा उसके नाम से या उसके नाम पर वाद चलाया जा सकेगा।

(२) राज्य सीईटी कक्ष,—

(क) सरकार द्वारा राज्य सीईटी कक्ष के आयुक्त के रूप अध्यक्ष में प्रतिनियुक्त संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी।

(ख) चिकित्सा, तकनीकी कृषि, उच्चतर शिक्षा, कला, ... सदस्य;
आयुष के क्षेत्र में से राज्य सरकार के उप-निदेशक
से अनिम्न श्रेणी के छह अधिकारी।

(३) अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और उप-धारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन उसके सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः चिकित्सा तकनीकी, कृषि, उच्चतर शिक्षा, कला और आयुष के निदेशकों द्वारा की जाएगी।

(४) राज्य सीईटी कक्ष के अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य होने से परिवर्तित हो जाएंगे, यदि वह कोई ऐसा कार्य करते हैं जो राज्य सरकार या निदेशक की राय में, राज्य **सीईटी कक्ष** के अध्यक्ष या सदस्य के लिए अशोभनीय है।

(५) अध्याय, राज्य सीईटी कक्ष के बैठकों की अध्यक्षता करेगा और जिसे वह ठिक समझें, विनियमों द्वारा उसकी प्रक्रियाओं को अपना सकेगा।

१०क. राज्य सीईटी कक्ष की शक्तियाँ और कृत्य—

राज्य सीईटी कक्ष
की शक्तियाँ तथा
कृत्य।

(क) असहायताप्राप्त वृत्तिक शैक्षणिक संस्था में प्रवेशों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को दक्ष, पारदर्शित सुचारु तथा उचित रीत्या आयोजन करना तथा मानिट्रिंग करना।

परंतु राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के प्राधिकारियों द्वारा आयोजित सीईटी के माध्यम से ऐसे प्रवेश की अनुमति दे सकती है ;

(ख) सीईटी परीक्षा के प्रश्न तैयार करने और उनके गोपनीय संचालन के लिए विषय विशेषज्ञों की पहचान करना और उन्हें पैनल में शामिल करना ;

(ग) सामान्य प्रवेश परीक्षा के संचालन के संबंध में सभी निर्णय उचित रीति से लेना और अपेक्षित गोपनीयता बनाए रखना। यह परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और परिणाम प्रसंस्करण के लिए आवश्यक परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, मॉडरेटों और सॉफ्टवेयर विकास के लिए नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, और ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा के संचालन के लिए आवश्यक सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति भी करेगा तथा विभिन्न दस्तावेजों की छपाई आदि का कार्य करेगा। यह सामान्य प्रवेश परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा ;

(घ) सामान्य प्रवेश परीक्षाओं को अनुकूलनीय, जवाबदेह, विश्वसनीय, त्रुटिरहित, विद्यार्थी-हितैषी, सुरक्षित, छेड़छाड़-रहित, पारदर्शी और कुशल रीति से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(ङ) परीक्षण दल और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण, दिशानिर्देश प्रदान करना ;

(च) परीक्षा पूर्व और सीईटी में छात्रों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए सुविधा केंद्र (एफसी) और छात्र सहायता केंद्र (एसएसी) स्थापित करना और उन्हें मान्यता देना ;

(छ) राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑनलाइन सीईटी आयोजित करने के लिए शिक्षण एवं परीक्षा केंद्र (**एलटीसी**) स्थापित करना ;

(ज) **सीईटीएस** से संबंधित शिकायत प्रतितोष यंत्रणा का उपबंध करना ;

(झ) प्रत्येक वर्ष २८ फ़रवरी से पहले अगले वर्ष के लिए आय और व्यय के अपने बजट अनुमान तैयार करना ;

(ज) अपने दवारा तैयार किए गए बजट अनुमानों पर विचार करना और उन्हें खंड(झ) में निदिष्ट दिनांक को या उसके बाद अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत करना ;

(ट) आवश्यकतानुसार बजट अनुमानों को संशोधित करना और अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत करना ;

(थ) अपने खातों को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीत्या से रखना, जैसा कि विहित किया जाए;

(ड) अपने खातों का लेखापरीक्षा ऐसे लेखापरीक्षक से करवाना जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का सदस्य हो ;

(ढ) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण या सरकार द्वारा जैसाकि अपेक्षित हो ऐसी रिपोर्ट, विवरण और कथन प्रस्तुत करना ;

(ण) यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम, नियमों और विनियमों तथा राज्य सरकार द्वारा तद्विन बनाए गए निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए।

(२) सीईटी कक्ष का आयुक्त आपात स्थिति में ऐसी कार्रवाई या निर्णय ले सकता है जो वह उचित समझे।

(३) सीईटी कक्ष का आयुक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में विषय का विशेषज्ञ हो, अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है, यदि वह विषय जिस पर विशेषज्ञ के उस बैठक में चर्चा या विचार होने की संभावना हो ।

(४) सीईटी कक्ष अपने कृत्यों के कुशल अनुपालन करने के लिए ऐसी समितियों का गठन कर सकता है जिन्हे वह आवश्यक समझे । सदस्यों की संख्या, उनके कर्तव्य और कृत्य तथा बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों को देय भते विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(५) सीईटी कक्ष, सरकार द्वारा अनुमोदित अपने बजट के अध्यक्षीन, सीईटी, के आयोजन से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने।

(६) सीईटी, कक्ष को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा परीक्षा का संचालन ऐसी रीत्या से करेगा जैसा कि विहित किया जा सके।

(७) प्रत्येक सीट पर प्रवेश राज्य की आरक्षण नीति के अध्यक्षीन, राज्य की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया द्वारा अपनाई गई सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) में प्राप्त गुणागुण के आधार पर किया जाएगा :

परंतु, संस्थागत कोटा में प्रवेश धारा ४ के खंड (क) के प्रथम परंतुक में उपबंधित किए गए रीति से होगा ।

सन् २०१५ का
महा. २८ की धारा
११ में संशोधन।

११. मुल अधिनियम की धारा ११ की,—

(१) उप-धारा (३) में खंड (क) के स्थान में निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या

सचिव से अनिम्न सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी श्रेणी का । . . अध्यक्ष”;

(२) उप-धारा (४) में, “सरकार द्वारा” शब्दों के पश्चात् चयन “समिति की सिफारिश पर विहित रीत्या से” शब्द जोड़े जाएंगे;

(३) उप-धारा (७) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

“(७क) सदस्य-सचिव प्राधिकरण के कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होगा और विनियमों द्वारा उसे सौंपी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा । ”।

१२. मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

सन् २०१५ का
महा. २८ की धारा
१३ में संशोधन।

- (१) उप-धारा (१) में खंड (पाँच) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे,
(छह) समय-समय पर फीस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मानदंड अधिकथित करना;
(सात) फीस से संबंधित किसी भी संदर्भ पर सरकार को सलाह देना।”;

(२) उप-धारा (२) में खंड (दो) और (तीन) के स्थान में निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे,
अर्थात्:—

“(दो) असहायता प्राप्त निजी वृत्तिक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों को उपबंधित की जाने वाली बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के सत्यापन के लिए तंत्र विकसित करना;

(तीन) फीस और फीस प्रस्तावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए उपाय करना;

(चार) यह अभिनिश्चित करना, सत्यापित करना और सुनिश्चित करना कि फीस वसूली में कोई मुनाफाखोरी न हो;”;

(३) उप-धारा (३) अपमार्जित की जाएगी;

(४) उप-धारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(५) फीस विनियामक प्राधिकरण, छात्रों से वसूले गए फीस के मुकाबले संस्थानों द्वारा प्रदान की गई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सुखसुविधाओं के संबंध में प्राधिकरण को सत्यापित करने और रिपोर्ट करने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की निरीक्षण समितियों का गठन कर सकता है।

(६) उप-धारा (५) के अधीन निरीक्षण समिति के सदस्यों की संख्या तथा ऐसे सदस्यों को देय बैठक एवं अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(७) फीस विनियामक प्राधिकरण को किसी भी असहायता प्राप्त संस्था और उसके बुनियादी ढांचे, जैसे कि भवन, छात्रावास, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, उपस्कर, शिक्षण और ऐसी किसी संस्था द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों का निरीक्षण या जांच कराने का अधिकार होगा, जैसा वह निर्देशित करे।

(८) प्राधिकरण, प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना संस्था को उचित रूप से देगा और संस्था को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहने और अपनी बात रखने का अधिकार होगा।”।

१३. मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सन् २०१५ का
महा. २८ की
धारा १४ की
प्रतिस्थापना।

“१४. (१) फीस संरचना की तर्कसंगतता निर्धारित करने में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:—

फीस विनियामक
प्राधिकरण द्वारा
अपनाई जानेवाली
प्रक्रिया।

(क) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष असहायता प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन द्वारा फीस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगा और उन्हें अपनी वेबसाइट पर अग्रिम में प्रकाशित करेगा;

(ख) असहायता प्राप्त संस्था का प्रबंधन, फीस विनियामन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूपों में फीस प्रस्ताव, तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित काथों की प्रमाणित प्रतियों और संबंधित अभिलेख एवं साक्ष्यों के साथ, पिछले शैक्षणिक वर्ष के ३१ अक्टूबर तक अनुमोदन हेतु फीस विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। प्रस्ताव खंड (क) के अधीन निर्धारित मानदंडों की पूर्ति करेगा :

परंतु प्राधिकरण पर्याप्त कारण बताए जाने पर और लागतों के भुगतान के अध्यक्षीन रहते हुए, पूर्व शैक्षणिक वर्ष के ३१ दिसंबर तक फीस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है;

(ग) यदि फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फीस संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और पूर्व शैक्षणिक वर्ष के दौरान लागू फीस संरचना अगले शैक्षणिक वर्ष की अवधि के लिए ही लागू रहेगी;

(घ) दो या दो से अधिक लगातार शैक्षणिक वर्षों के लिए फीस प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, शुल्क विनियमन प्राधिकरण द्वारा तत्काल अतीत में अनुमोदित फीस में प्राधिकरण द्वारा बीस प्रतिशत की कमी की जाएगी;

(ङ) फीस विनियमन प्राधिकरण प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच के लिए संवीक्षा कक्ष स्थापित करेगा और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग संवीक्षा कक्ष स्थापित किए जा सकते हैं;

(च) संवीक्षा कक्ष की रिपोर्ट और अन्य सभी सुसंगत घटकों पर विचार करने के पश्चात्, फीस विनियमन प्राधिकरण प्रस्तावित फीस के विवरण प्राप्त होने के दिनांक से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर फीस प्रस्ताव को मंजुरी देगा और संबंधित संस्था के प्रबंधन को इस संबंध में निर्णय की सूचना देगा;

(छ) यदि फीस प्रस्ताव पर फीस विनियमन प्राधिकरण का निर्णय असहायता प्राप्त संस्था के प्रबंधन को स्वीकार्य नहीं है, तो वह समीक्षा के लिए निर्णय की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर फीस विनियमन प्राधिकरण के समक्ष विस्तृत तर्क सहित समीक्षा आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। फीस विनियमन प्राधिकरण पूर्व शैक्षणिक वर्ष के ३१ मार्च से पहले ऐसे समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेगा और तदनुसार संबंधित प्रबंधन को अपने निर्णय की सूचना देगा;

(ज) फीस विनियमन प्राधिकरण शुल्क प्रस्तावों की जांच और शिकायत प्रतितोष यंत्रणा के संबंध में अपनी प्रक्रिया विहित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(२) फीस विनियमन प्राधिकरण के निर्णय लंबित रहने तक, संस्था प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से, फीस प्रस्ताव पर अंतिम निर्धारण तक अंतरिम या यथास्थिति तदर्थ फीस, वसूल कर सकती है।

(३) यदि कोई संस्था पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फीस को विद्यमान शैक्षणिक वर्ष में अध्ययनरत छात्रों पर बिना किसी परिवर्तन के लागू करना चाहती है, तो उसे फीस विनियमन प्राधिकरण की स्वीकृति से ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन संस्था को समय पर फीस विनियमन प्राधिकरण को ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

(४) फीस विनियमन प्राधिकरण उन विभिन्न शीर्षों को सूचित करेगा जिसके अधीन फीस उद्ग्रहित और संग्रहित की जा सकती हैं।

(५) (क) प्रत्येक असहायता प्राप्त संस्था अपने नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रमवार और शीर्षकवार फीस (अंतरिम फीस और तदर्थ फीस सहित, जैसा भी मामला हो) प्रदर्शित करेगी, जैसा कि फीस विनियमन प्राधिकरण द्वारा मराठी और अंग्रेजी में अनुमोदित किया गया हो;

(ख) भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में, प्रदर्शन भी उस अल्पसंख्यक की भाषा में होगा जिससे ऐसा संस्थान संबंधित है;

(ग) इसप्रकार प्रदर्शित फीस छात्रों और संस्थान पर बाध्यकारी होगी।

(६) (क) कोई भी संस्था किसी शैक्षणिक वर्ष में किसी उम्मीदवार से एक वर्ष के फीस से अधिक फीस संग्रहित नहीं करेगी;

सन् १९८८
का महा.
६।

(ख) एक शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक वर्षों के लिए फीस का संग्रह कैपिटेशन फीस के संग्रह के रूप में माना जाएगा और ऐसी संस्था महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (प्रतिबद्धता फीस निषेध) अधिनियम, १९८७ और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी;

(ग) यदि किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा, प्राधिकरण जांच के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी संस्था ने प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित फीस से अधिक फीस लिया है, तो ऐसी संस्था छात्र को वह अतिरिक्त फीस वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी और इस अधिनियम में यथा उपबंधित दंड के लिए भी उत्तरदायी होगी।

परंतु, जहाँ शिकायतकर्ता संस्था का पुनरावर्ती या पूर्व छात्र है, तो उसने संस्था छोड़ने के एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।

(७) कोई भी संस्था छात्र को लिखित में कारण बताए बिना उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए आवश्यक मार्कशीट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रोकेगी।

(८) शुल्क विनियमन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं सूचित फीस उस अकादमिक वर्ष में असहायता प्राप्त संस्था में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थी पर लागू होंगे तथा संबंधित संस्था में विद्यार्थी के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक उनमें संशोधन नहीं किया जाएगा:

परंतु, कि कोई असहायता प्राप्त संस्था, फीस विनियमन प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, करेंगे में संशोधन, नियमित, व्यय में अचानक संशोधन आदि जैसे कारणों से द्वितीय या पश्चातवर्ती वर्ष के लिए फीस में संशोधन कर सकती है।

१४. मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात निम्नलिखित निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

सन् २०१५ का
महा. २८ में
अध्याय चार-क
का निवेशन।

अध्याय चार-क

अपीलीय प्राधिकरण

१५क. (१) प्रवेश विनियमन प्राधिकरण और फीस विनियमन प्राधिकरण के आदेशों या निर्णयों अपीलीय से उद्भूत अपीलों का निर्णय करने और इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने प्राधिकरी के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण होगा।

(२) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है। उक्त प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा मुहर होगी और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

(३) अपीलीय प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या . . . अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव से अनिम्न श्रेणी का
सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी.

(ख) एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भारतीय . . . सदस्य
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का कम से कम
दस वर्षों की अवधि के लिए सदस्य हो।

(ग) एक प्रतिष्ठित लागत लेखाकार जो भारतीय लागत.....सदस्य एवं कार्य लेखाकार संस्थान का कम से कम दस वर्षों की अवधि के लिए सदस्य हो।

(घ) वृत्तिक शिक्षा के क्षेत्र से प्रतिष्ठित विशेषज्ञ.....सदस्य

(ङ) तकनीकी शिक्षा विभाग का एक अधिकारी।.....सदस्य-सचिव।

(४) उप-धारा (३) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की शिफारिश पर की जाएगी।

(५) अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव की नियुक्ति तकनीकी शिक्षा विभाग से उप निदेशक के पद से नीचे के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी।

(६) कोई भी व्यक्ति जो किसी निजी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त वृत्तिक शिक्षण संस्थान से संबद्ध है, अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य या विशेषज्ञ बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

(७) अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य होने से परिवर्तित होगा यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जो राज्य सरकार की राय में अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के लिए अनुचित हो।

(८) अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और जैसा वह उचित समझे विनियमों द्वारा अपनी प्रक्रिया को अपना सकेगा।

(९) अपीलीय प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसमें रिक्ति होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अमान्य नहीं मानी जाएगी।

(१०) धारा ८ के उपबंध अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों समेत लागू होंगे।

(११) सरकार अपीलीय प्राधिकरण के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

(१२) अपीलीय प्राधिकारी के सभी व्यय फीस विनियमन प्राधिकरण के निधि से किए जाएंगे।

अपीलीय
प्राधिकारी की
शक्तियाँ और
कृत्य.

१५ख. (१) अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य इस प्रकार होंगे:—

(क) पणधारियों की अपील पर निर्णय लेना और उसे अंतिम अनुमोदन देना।

(ख) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण और फीस विनियामक प्राधिकरण के आदेशों और निर्णयों पर अपील का निर्णय के लिए जैसा वह उचित समझे अपनी प्रक्रिया विहित करना।

(२) उप-धारा (१) अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में और इस अधिनियम के अधीन अपील का निर्णय करने के प्रयोजन से, अपीलीय प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

सन् १९०८
का ५।

(एक) किसी गवाह को बुलाना और उसकी उपस्थिती सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना:

(दो) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति;

(तीन) शपथपत्रों पर साक्ष्य की स्वीकृति;

(चार) गवाह की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(३) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण या फीस विनियामक प्राधिकरण के आदेशों और निर्णयों से व्यथित कोई पणधारी, प्रवेश विनियामक प्राधिकरण या फीस विनियामक प्राधिकरण के आदेश की प्राप्ति

के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकरण ऐसी अपील की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर उसका निपटारा करेगा और उस पर अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।”।

१५. मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

सन् २०१५ का
महा. २८ की धारा
१६ में संशोधन।

अध्याय चार-ख

विनियामक प्राधिकरण और सीईटी कक्ष का निधि

१६. (१) नियामक प्राधिकरण सीईटी कक्ष के लिए एक अलग निधि होगी।

विनियामक
प्राधिकरण और
सीईटी कक्ष का
निधि।

(२) उक्त प्राधिकरणों और सीईटी कक्ष की निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(एक) निजी वृत्तिक शिक्षण संस्थान द्वारा देय प्रसंस्करण शुल्क;

(दो) निक्षेप पर ब्याज;

(तीन) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संस्थानों से प्राप्त अनुदान (यदि कोई हो);

(चार) कोई अन्य धनराशि जिसमें फीस, रॉयल्टी, लगाए गए जुर्माने और एकत्रित सेवा फीस आदि शामिल हैं, जो नियामक प्राधिकरण और सीईटी कक्ष द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं।

(३) (एक) नियामक प्राधिकरण और सीईटी कक्ष, सीईटी आयोजित करने के लिए प्रसंस्करण फीस और फीस निर्धारण तथा प्रसंस्करण फीस आदि वसूल सकते हैं, जैसा कि प्राधिकरणों और सीईटी सेल द्वारा समय-समय पर तय किया जाए।

(दो) प्रत्येक वर्ष के लिए प्रसंस्करण फीस संबंधित अधिकारियों और सीईटी सेल द्वारा उनके दैनिक व्यय को ध्यान में रखते हुए तय किया जा सकता है, जिसमें वेतन, भत्ते, प्रशासनिक व्यय, मानदेय, बुनियादी ढांचागत आवश्यकताएं और अपने कार्यों के अनुसरण में की जाने वाली कोई अन्य गतिविधि शामिल है।

(४) संबंधित अधिकारी और सीईटी कक्ष राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग-अलग बैंक खाते खोलेंगे और प्राप्तियों से अपने खर्चों की पूर्ति करेंगे।”।

सन् २०१५ का
महा. २८ की
धारा १७ की
प्रतिस्थापना।

१६. मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

खातों का
खरखाव।

“१७.(१) नियामक प्राधिकरण और सीईटी कक्ष अपने-अपने खाते वाणिज्यिक लेखा प्रणाली के आधार पर रखेंगे।

(२) नियामक प्राधिकरणों और सीईटी कक्ष के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

सन् २०१५ का
महा. २८ की धारा
१८ में संशोधन।

१७. मूल अधिनियम की धारा १८ को उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा, और,—

(१) इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-धारा (१) में, “विनियामक प्राधिकरण” शब्दों के पश्चात “और सीईटी कक्ष” शब्द निविष्ट किए जाएंगे;

(२) इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-धारा (१) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

भाग सात-१२-३अ

(२) उप-धारा (१) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियामक प्राधिकरणों और सीईटी कक्ष के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षा संबंधित प्राधिकरणों और सीईटी सेल द्वारा नियुक्त भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्य द्वारा किया जाएगा।”।

सन् २०१५ का
महा. २८ की धारा
१९ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा १९ में,—

- (१) पार्श्व टिप्पणी में, “नियामक प्राधिकरण” शब्दों के बाद “और सीईटी कक्ष” शब्द जोड़े जाएंगे;
(२) “नियामक प्राधिकरण” शब्दों के बाद “और सीईटी कक्ष” शब्द जोड़े जाएंगे।

सन् २०१५ का
महा. २८ की धारा
२० में संशोधन।

१९. मूल अधिनियम की धारा २० की,—

- (१) उप-धारा (१) में खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(क) प्रथम उल्लंघन के लिए, जो तीन लाख रुपये से कम नहीं होगा या इस अधिनियम के अधीन निर्धारित फीस से अधिक ली गई राशि का दुगुना, जो भी अधिक हो;

(ख) दूसरे या उसके बाद के उल्लंघन के लिए, जो पंद्रह लाख रुपये से कम नहीं होगा या इस अधिनियम के अधीन निर्धारित फीस से अधिक ली गई राशि का तिगुना होगा, जो भी अधिक हो।”;

- (२) उप-धारा (३) में, “संज्ञेय होगा” शब्दों के बाद, “और न्यायालय की अनुमति से समझौता योग्य होगा” शब्द जोड़े जाएंगे;

- (३) उप-धारा (३) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात्:—

“(३क) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो।”।

सन् २०१५ का
महा. २८ में नई
धारा २०क का
निवेशन।

२०. मूल अधिनियम की धारा २० के बाद निम्नलिखित धाराएँ निविष्ट की जाएगी, अर्थात्:—

“२०क. (१) प्रवेश विनियामक प्राधिकरण, फीस विनियामक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के उपयुक्त नामों की सिफारिश करने और इस अधिनियम के अधीन इसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक चयन समिति होगी।

- (२) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- | | | | |
|---|----|----|---------|
| (क) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार | .. | .. | अध्यक्ष |
| (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के अप्पर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव | .. | .. | सदस्य |
| (ग) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अप्पर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव | .. | .. | सदस्य |
| (घ) चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग के अप्पर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव | .. | .. | सदस्य |
| (ङ) विधि एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव एवं विधि परमर्शी | .. | .. | सदस्य। |

(३) चयन समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया—

(एक) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए या जब प्राधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के पद पर कोई रिक्ति उत्पन्न होती है या उत्पन्न होने की संभावना होती है, तो सरकार चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।

प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के चयन के उद्देश्य से चयन समिति ऐसी प्रक्रिया का पालन कर सकती है जिसे वह उचित समझे।

(दो) चयन समिति राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए अधिकतम तीन व्यक्तियों के पैनल के रूप में अलग-अलग सिफारिश राज्य सरकार को विचार के लिए प्रस्तुत करेगी।

(तीन) चयन समिती खंड (झ) के अधीन किए गए संदर्भ के दिनांक से तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(चार) चयन समिती की बैठक के लिए नोटिस या एजेंडा, जैसा भी मामला हो, संयोजक द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष से परामर्श करके ऐसी बैठक का दिनांक और स्थान निर्धारित करने के बाद जारी किया जाएगा।

(पाँच) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव चयन समिति के संयोजक होंगे।

(छह) राज्य सरकार प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति या रिक्ति पद को भरने के लिए चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी।”।

सन् २०१५ का
महा. २८ की धारा
२१ में संशोधन।

२१. मुख्य अधिनियम की धारा २१ में, “प्राधिकरण के कार्यालय” शब्दों के बाद “और सीईटी कक्ष” शब्द जोड़े जाएंगे।

सन् २०१५ का
महा. २८ में नई
धारा २१क से
२२ ड का
निवेशन।

२२. मूल अधिनियम की धारा २१ के बाद निम्नलिखित धाराएँ निविष्ट की जाएँगी, अर्थात्,—

पदेन सदस्यों की
उपस्थिति।

“२१क. नियामक प्राधिकरण का कोई पदेन सदस्य, जो अपने आधिकारिक कार्य के कारण प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, अपने तत्काल अधीनस्थ को ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकता है और संबंधित सदस्य-सचिव को इस तरह के प्राधिकरण की अग्रिम सूचना दे सकता है।

प्रतिनियुक्ति
पर सरकारी
कर्मचारियों की
नियुक्ति।

“२१ख. सरकार द्वारा नियुक्त और नियामक प्राधिकरणों या, जैसा भी मामला हो, सीईटी कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और नियम वही होंगे जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं:

परंतु, नियामक प्राधिकरण, आदेश द्वारा, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अध्यक्ष, सदस्य
और अधिकारी
लोक सेवक होंगे।

२१ग. प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य, नियामक प्राधिकरणों के अधिकारी और कर्मचारी तथा सीईटी प्रकोष्ठ, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते समय, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ की धारा २ के खंड (२८) के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे। अध्यक्ष, पदाधिकारी आदि, सदस्य और लोक सेवक होने चाहिए।

सन २०२३
का ४५।

विनियामक
प्राधिकरण और
सीईटी कक्ष के
बीच विवाद या
मतभेद।

२१घ. प्रवेश विनियामक प्राधिकरण या सीईटी प्रकोष्ठ के बीच किसी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इस संबंध में कि कोई विशेष मामला विनियामक प्राधिकरण या सीईटी प्रकोष्ठ से संबंधित है या नहीं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ”।

विनियामक
प्राधिकरणों के
बीच विनियमन को
लेकर मतभेद।

२१ड. यदि नियामक प्राधिकरणों के बीच इस बात पर मतभेद हो कि कोई विशेष मामला प्रवेश नियामक प्राधिकरण या फीस नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, तो व मामला किसी भी सदस्य-सचिव द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव को भेजी जाएगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

सन २०१५ का
महा २८ की धारा
२२ में संशोधन।

२३. धारा २२ में, “विनियमन प्राधिकरण” शब्दों के स्थान पर “विनियमन प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण और सीईटी कक्ष” शब्द रखे जाएंगे।

सन २०१५ का
महा. २८ में नई
धारा २२क का
निवेशन।

२४. मूल अधिनियम की धारा २२ के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

व्यावसायिक
शिक्षा संस्थानों के
कर्तव्य और उनसे
प्राप्त होनेवाली
सहायता।

“ २२क. सभी व्यावसायिक शिक्षा संस्थान नियामक प्राधिकरणों, अपीलीय प्राधिकरण और सीईटी प्रकोष्ठ को इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने और निर्वहन करने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे। ”।

कठिनाई को दूर
करने की शक्ति।

२५. (१) यदि इस अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है। तो राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के प्रावधानों के साथ असंगत न होनेवाला कोई भी कार्य कर सकती है, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत होता है।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके पारित होने के दिनांक के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

वक्तव्य

महाराष्ट्र गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और फ्रीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ (सन २०१५ का महा २८). महाराष्ट्र राज्य में गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और फ्रीस के विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और फ्रीस को विनियमित करने के लिए प्राधिकरणों के गठन और “कॉमन एंट्रेंस टेस्ट” के माध्यम से, केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के संचालन का उपबंध करता है।

२. उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान कुछ कठिनाईयाँ सामने आई थी, इसलिए, अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा करना आवश्यक समझा गया है। ऐसी समीक्षा के बाद, सरकार उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उपर्युक्त संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. संशोधनों की मुख्य विशेषताएं यथा निम्न है:—

(एक) उक्त अधिनियम की प्रयोज्यता सरकारी सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेशों तक बढ़ाना;

(दो) धारा ६ में संशोधन करना है, ताकि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में उन छात्रों के लिए सीटें आवंटित की जा सकें जो महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम, २०२४ (सन २०२४ का महा. १६) के अंतर्गत आते हैं;

(तीन) नई धारा ६क निविष्ट करना है ताकि, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की रीति का उपबंध किया जा सके;

(चार) धारा ८ में संशोधन करना है ताकि, यह उपबंध किया जा सके कि, अध्यक्ष और सदस्यों का पदावधि तीन वर्षों तक होगा या जब तक वे ७० वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, और वे केवल तीन वर्षों के एक और पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे;

(पांच) धारा १० को रखना है ताकि सीईटी सेल के गठन, शक्तियों और कार्यों का उपबंध किया जा सके;

(छह) धारा १३ में संशोधन करना है ताकि, शुल्क नियामक प्राधिकरण को गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के जांच करने का निरीक्षण या करने का अधिकार दिया जा सके, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थानों द्वारा ली जानेवाली फ्रीस उचित और न्यायसंगत है;

(सात) धारा १४ को प्रतिस्थापित करना है ताकि, फ्रीस नियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का उपबंध किया जा सके;

(आठ) अध्याय चार-क सम्मिलित करना है ताकि, प्रवेश के संबंध में, ‘प्रवेश नियामक प्राधिकरण’ और फ्रीस प्रस्ताव पर ‘फ्रीस नियामक प्राधिकरण’ के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के गठन का उपबंध किया जा सके;

(नौ) अध्याय चार-ख सम्मिलित करना है, ताकि नियामक प्राधिकरणों और सीईटी सेल के लिए निधी से संबंधित उपबंध किए जा सकें;

(दस) धारा २० में संशोधन करना है ताकि, उक्त अधिनियम के किसी भी उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियों को बढ़ाया जा सके;

(ग्यारह) नई धारा २०क निविष्ट करना है ताकि, राज्य सरकार को प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के उपयुक्त नामों की सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जा सके;

(बारह) नई धाराएँ २१क, २१ख, २१ग, २१घ और २१ङ सम्मिलित करना है ताकि, नियामक प्राधिकरणों और सीईटी सेल के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके।

४. चूंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश और फ्रीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है; अतः यह अध्यादेश, प्रख्यापित हुआ है।

मुंबई,
दिनांकित २१ फ़रवरी, २०२६।

आचार्य देवव्रत,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,—

बी. वेणुगोपाल रेड्डी,
सरकार के अप्पर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।